FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- **रिंकू पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम कटसूरा तह0 अराई जिला अजमेर व अन्य**

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर

–प्रतिवादी।

किस्म मुकदमा– धारा 251 (क) भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर /**2025**

ऑनलाइन नंबर **2025** / ....

वकील वादी:– योगेश शर्मा **वकील प्रतिवादीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.3.2025	**यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत** धारा 251 (क) **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक** 28.3.2025 **को पेश हो।** **उपखण्ड अधिकारी** **अरांई**	
28.3.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। तहसीलदार को तहरीर जावे कर पत्रावली दिनांक 2/5/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई	
2/5/2025	पत्रावली पेश हुई। ...... बाद शिकायत तहसील से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/25 को पेश हो।	
16/5/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.............. दिनांक 6/6/25 को पेश हो।	

6/6/25 — पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब पुनरावलोकन कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..................
दिनांक 12/6/2025 को पेश हो।

12.6.2025 — पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० । तहसील से पुनः मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। आदेश पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2025 उनवान रिंकू बनाम सरकार

1. रिंकू पत्नि जगदीश
2. नाबालिग अभिषेक पुत्र जगदीश जरिये सरंक्षक माता रिंकू
3. धन्नी पत्नि भागीरथ
4. सुखदेव पुत्र भागीरथ

सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम कटसूरा तहसील अराई जिला अजमेर राज0

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 12.6.2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री योगेश शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कटसूरा पटवार क्षेत्र कटसूरा भू0अ0नि0 क्षेत्र अराई तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित है जिसके खसरा संख्या 3374/2288 रकबा 1.6099 हैक्टैयर किस्म (बंजर 2 1.2620 है0, बारानी 2 0.3479 हैक्टेयर,) स्थित है राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा निहित है तथा इसी के अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि के आगे उत्तर–पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज खसरा संख्या 2096 क्षेत्रफल 1.7151 हैक्टेयर (किस्म हाडोलाई) स्थित है, जिसके आगे खसरा संख्या 1247 क्षेत्रफल 1.2459 हैक्टेयर स्थित है । जोकि सार्वजनिक उपयोग में लेने के लिए आम रास्ता है जो प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है । प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु 30 फीट रास्ते की आवश्यकता है । जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 1247 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 26.3.2025 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 28.4.2025 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि ग्राम कटसूरा के खसरा संख्या 3374/2288 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 2096 किस्म हाडोलाई रकबा 1.7181 है0 में से नजरी नक्शा के अनुसार कुल 0.0091 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जायेगी जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल. सी. दर 9,80,000 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार मूल्य 8918/— जिसकी दुगुना राशि 17836/— सत्रह हजार आठ सो छत्तीस रूपये होगी । तहसीलदार अराई ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/3091 दिनांक 5.6.2025 द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट प्रेषित की है जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटम है जो खसरा नं0 2096 किस्म हाडोलाई में से गुजरता है । तथा आवेदित भूमि किस्म हाडोलाई वर्तमान में खाली है उक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु व अन्य

उपयोग आवागमन के लिये हो रहा है । वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है ।

हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें हैः–

—: आदेश :—

1. प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी की भूमि में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ते की अतिआवश्कता है, प्रार्थी की ग्राम कटसूरा के खसरा संख्या 3374/2288 में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 3374/2288 में आवागमन ख0नं0 2096 किस्म हाडोलाई से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है। तहसीलदार अराई की पुनः मौका जांच रिपोर्ट अनुसार जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटम है जो खसरा नं0 2096 किस्म हाडोलाई में से गुजरता है । तथा आवेदित भूमि किस्म हाडोलाई वर्तमान में खाली है उक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु व अन्य उपयोग आवागमन के लिये हो रहा है । प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अराई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम कटसूरा के खसरा संख्या 3374/2288 में से रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 2029 दिनांक 28.4.2025 तथा रिपोर्ट कमांक 3091 दिनांक 5.6.2025 के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहुचने हेतु 30 फीट चोडा रास्ता क्षेत्रफल 1.7181 हैक्टैयर भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 9,80,000 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार मूल्य 8918/– जिसकी दुगुना राशि 17836/– सत्रह हजार आठ सो छत्तीस रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0091 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 17836/– रूपये अक्षरे सत्रह हजार आठ सो छत्तीस रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2025/2029 दिनांक 28.4.2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0091 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ....12.6.2025.... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)